न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–88 / 2014 (2014 / 00067) वाद पत्र

उनवान

1–देउ पुत्री कालु खाती पत्नि डालचन्द खाती नि.आसुणा हाल नि.बालाजीनगर आमली तह. सहाड़ा
2–राधा पुत्री कालु खाती पत्नि मथुरा खाती निवासी आसुणा हाल उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा

वादी

बनाम

1–चान्दी बेवा कालु खाती नि. आसुणा हाल नि. मार्फत डालचन्द नि. बालाजीनगर आमली तह. सहाड़ा
2–मदन आत्मज प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गोपाल आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–भगवान आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–कंचन पत्नि शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–लाडु पुत्री शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–भोली बेवा प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–नाथुलाल आत्मज बरदीचन्द दर्जी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–पारस आत्मज बरदीचन्द दर्जी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–मांगु आत्मज मोडा बलाई निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–रामचन्द्र आत्मज उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–मोडी बेवा उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–देउ पुत्री उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–भैरू आत्मज रता खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–नारायण आत्मज प्रभु ना.बा.ब.वि.जरिये माता सीता बेवा प्रभु खाती नि. आसुणा तह. रायपुर
16–मीरा पुत्री प्रभु ना.बा.ब.वि.जरिये माता सीता बेवा प्रभु खाती नि. आसुणा तह. रायपुर
17–शिवलाल आत्मज भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–शान्तिलाल आत्मज भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19–चान्दी बेवा भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20–हीरा आत्मज तुलछा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21–सीता बेवा प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22–बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. हरिश टेलर – वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–19.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षि[illegible]रण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 एक [illegible] होकर हिन्दु विधि से शासित होते है तथा हिन्दु परिवार के मूल पुरुष [illegible] जी थे [illegible] 2 पुत्र प्रताप एवं [illegible] हुए तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मृतक [illegible] ग्राम आसुणा तह[illegible]रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] हमारी माता है व [illegible] पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजियात संख्या 44 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 45 रकबा 0.01 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 63 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 66 रकबा 1.15 है0, आराजी

संख्या 114 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 187 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 647 रकबा 0.81 है0, आराजी संख्या 865 रकबा 0.02 है0गै.मु.आचा, आराजी संख्या 866 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 867 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 868 रक़बा 0.02 है0 गै.मु. खड्डा, आराजी संख्या 869 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 870 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1039 रकबा 0.04 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1127 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 1129 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1130 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 1131 रकबा 0.25 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 7.55 है0 भूमि स्थित तथा इन्ही आराजियात के साथ साथ आराजी संख्या 1022 रकबा 0.72 है0 भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी किन्तु इसको सभी खातेदारो द्वारा विक्रय कर दी गई। उक्त वर्णित भूमिया में वादीगण की माता चान्दी का 1/2 हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 159 में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम आसुणा के बेरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 856 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 857 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 859 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 860 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 863 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.19 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित होकर मदन, शंकर पिता प्रताप भोली बेवा प्रताप, चान्दी बेवा कालु खाती 70/101 सा.देह व अन्य के नाम दर्ज है। जिसमे वादीगण की माता प्रतिवादी सं 1 चान्दी का 35/101 वा हिस्सा निहित होकर राजस्व खाता संख्या 160 में दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आसुणा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 1128 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह खाता संख्या 161 में मदन, शंकर पिता प्रताप, भोली बेवा प्रताप, चान्दी बेवा कालु 1/2 रामचन्द्र पिता उदयराम, शान्तिलाल पिता भैरूलाल, चान्दी पत्नि भैरूलाल 1/4, भैरू पिता रता, नारायण पिता प्रभु, मीरा पुत्री प्रभु सीता बेवा प्रभु हीरा पिता तुलछा 1/4, के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादीगण की माता का 1/4 हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी सम्पतिया होकर नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी संख्या 4/2 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, 31 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 81 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 204/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 204/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 374 रकबा 16 बिस्वा, 384 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 425/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 427 रकबा 3 बिस्वा गै.मु.आचा, 428 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 479/1ख रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 479/2 रकबा 2 बिस्वा, 480 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 482/1 रकबा 2 बिस्वा, 482/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 483 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 484 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 495 रकबा 8 बिस्वा, 497 रकबा 18 बिस्वा, 523 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 526 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 528 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 22 कुल रकबा 52 बीघा तथा आराजी संख्या 366/1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 524/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आदि से कायम किये गये। प्रमाण में जमाबंदी संवत 2046 से 2049 की साथ प्रस्तुत है तथा मिलान क्षेत्रफल की [illegible] है। यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजियात वादीगण की एवं प्रतिवादी सं. एक [illegible] एवं पुश्तैनी सम्पतिया होकर हम वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी एक [illegible] द्वारा छोडी गई सम्पतिया है तथा उक्त वर्णित सम्पतियों में वादीगण [illegible] के साथ साथ बराबर हक व हिस्सा निहित है किन्तु मृतक कालु [illegible] पिता है की मृत्यू उपरान्त जो नामान्तरकरण संख्या 455 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया जो केवल मात्र प्रतिवादी संख्या एक मु० चांदी के नाम ही भर कर प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 10–06–92 को स्वीकृत भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

गैर कानुनी तरीके से कर दिया, जिससे हम वादीगण के नाम प्रतिवादी सं एक के साथ साथ दर्ज नहीं किये गये और सम्पूर्ण भुमि प्रतिवादी सं. एक के नाम ही दर्ज कर दी गई। मृतक कालु के वारिसों की सरसरी तौर पर कोई जांच नहीं की गई और न ही वादीगण को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर ही दिया गया और हम वादीगण की पीठ पीछे उक्त नामान्तरकरण मे 455 तन्हा प्रतिवादी सं. एक के नाम फेसल कर दिया गया है जो गैर कानुनी होकर विधि विरुद्ध है और कानुन की नजर में वह शुरू से ही शुन्य एवं अकृत है। तथा ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर प्रतिवादी सं. एक को हम वादीगण के पिता द्वारा छोडी गई उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमियों में कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं। जिससे उक्त नामान्तरकरण हम वादीगण के मुकाबले मे से ही शुन्य और गैर कानुनी है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा हम वादीगण प्रतिवादी सं. एक के साथ साथ उनके हिस्से की भूमि में अपना नाम राजस्व रेकार्ड में बतोर खातेदार दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादीगण मृतक कालु की जायन्दा पुत्रिया होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस है उनके द्वारा छोड़ी गई भूमियो मे से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित है। उसी अनुसार भूमियो पर काबिज है और काश्त कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता है उसके कोई पुरूष सन्तान नही होने से लोगो के बहकावे में आकर भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को जायज हक से महरूम करना चाहती है जिससें उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार की बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 2 में अकिंत आरायिजात में निहित चान्दी बैवा कालु खाती के हिस्से मे से वादीगण भी चान्दी बेवा कालु के साथ साथ 1/3–1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और अपना हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारीणी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम आसुणा के खाता संख्या 159, 160, 161 में अकिंत वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित या भारग्रहित नही करे और वादीगण को उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 10.10.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 व 21 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 22, 23 फौरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में अलग से साक्ष्य प्रस्तुत नही कर दिनांक 12.04.2022 को उपस्थित हो कर निवेदन किया कि सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई ज[illegible] गया है जिस वजह से वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय करने [illegible] हो चुका है। इस प्रकरण में वादीगण की ओर से अलग से साक्ष्य [illegible] नहीं है। वादपत्र के साथ में जो शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है उसी [illegible] निस्तारण करना फरमावे।

प्रकरण में वादी अधि[illegible] सुनी गई जिसमें वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद निर्णित करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि वादीगण मृतक खातेदार कालु पिता केसु खाती की विधिक वारीसान है। खातेदार कालु के फोत होने पर कालु की विरासत का नामान्तकरण संख्या 455 दिनांक 10.06.1992 को मृतक की पत्नि चान्दी बेवा कालु के नाम पर ही दर्ज किया गया जबकि मृतक के विधिक वारीसान में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादीगण का भी नाम दर्ज होना चाहिये था जो दर्ज नही हुआ है। वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मृतक खातेदार की विधिक वारीसान है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा एवं निर्णय अधिकारी द्वारा मृतक के विधिक वारीसान की पूर्ण जांच नही करने से वादीगण खाते में दर्ज नाम से महरूम रही है जबकि मृतक खातेदार के विधिक वारीसान में पुत्र पुत्री एवं उसकी पत्नि समस्त हकदार है। इस प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 455 में त्रुटी होने से वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा में आराजी संख्या 44 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 45 रकबा 0.01 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 63 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 66 रकबा 1.15 है0, आराजी संख्या 114 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 187 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 647 रकबा 0.81 है0, आराजी संख्या 865 रकबा 0.02 है0गै.मु.आचा, आराजी संख्या 866 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 867 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 868 रकबा 0.02 है0 गै.मु. खड्डा, आराजी संख्या 869 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 870 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1039 रकबा 0.04 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1127 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 1129 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1130 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 1131 रकबा 0.25 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 7.55 है0 भूमि स्थित तथा इन्ही आराजियात के साथ साथ आराजी संख्या 1022 रकबा 0.72 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से 2/3 हिस्से की एवं आराजी संख्या 856 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 857 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 859 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 860 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 863 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.19 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से वादीगण को 2/3 हिस्से की एवं आराजी संख्या 1128 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से वादीगण को 2/3 हिस्से की संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के 2/3 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे [illegible] अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 1[illegible] को मेरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

19.04.2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—88 / 2014 (2014 / 00067) वाद पत्र

उनवान

1—देउ पुत्री कालु खाती पत्नि डालचन्द खाती नि.आसुणा हाल नि.बालाजीनगर आमली तह. सहाड़ा
2—राधा पुत्री कालु खाती पत्नि मथुरा खाती निवासी आसुणा हाल उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा

वादी

बनाम

1—चान्दी बेवा कालु खाती नि. आसुणा हाल नि. मार्फत डालचन्द नि. बालाजीनगर आमली तह. सहाड़ा
2—मदन आत्मज प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गोपाल आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भगवान आत्मज शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कंचन पत्नि शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लाडु पुत्री शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भोली बेवा प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—नाथुलाल आत्मज बरदीचन्द दर्जी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—पारस आत्मज बरदीचन्द दर्जी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—मांगु आत्मज मोडा बलाई निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—रामचन्द्र आत्मज उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—मोडी बेवा उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—देउ पुत्री उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—भैरू आत्मज रता खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—नारायण आत्मज प्रभु ना.बा.ब.वि.जरिये माता सीता बेवा प्रभु खाती नि. आसुणा तह. रायपुर
16—मीरा पुत्री प्रभु ना.बा.ब.वि.जरिये माता सीता बेवा प्रभु खाती नि. आसुणा तह. रायपुर
17—शिवलाल आत्मज भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—शान्तिलाल आत्मज भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—चान्दी बेवा भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—हीरा आत्मज तुलछा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—सीता बेवा प्रभु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा में आराजी संख्या 44 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 45 रकबा 0.01 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 63 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 66 रकबा 1.15 है0, आराजी संख्या 114 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 187 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 647 रकबा 0.81 है0, आराजी संख्या 865 रकबा 0.02 है0गै.मु.आचा, आराजी संख्या 866 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 867 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 868 रकबा 0.02 है0 गै.मु. खड्डा, आराजी संख्या 869 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 870 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 1037 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1038 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1039 रकबा 0.04 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1127 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 1129 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1130 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 1131 रकबा 0.25 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 7.55 है0 भूमि स्थित तथा इन्ही आराजियात के साथ साथ आराजी संख्या 1022 रकबा 0.72 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से 2/3 हिस्से की एवं आराजी संख्या 856 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 857 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 859 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 860 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 863 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.19 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से वादीगण को 2/3 हिस्से की एवं आराजी संख्या 1128 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे से वादीगण को 2/3 हिस्से की संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के 2/3 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

19.04.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested